


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

R. २६१ - ४३१५



काशीराम तनय भूरे यादव
निवासी मामोन दरवाजा टीकमगढ़

..... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. महिला रामा पत्नि कमलापत यादव

रामेश्वर तनय कमलापत यादव

निवासी बहादुरपुर तह.व जिला
टीकमगढ़ (मोप्र०)

..... प्रतिनिगराकार

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मोप्र० भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रस्तुत पुनरीक्षण अपील प्रकरण 582/अ/6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2014
विद्वान अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के
प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्ति विवरण इस प्रकार है –

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ 57अपील/13-14 एवं 58 अपील 13-14 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2014 संलग्न में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराकार के विरुद्ध अपील स्वीकार की जबकि अपील में संलग्न म्याद अधिनियम धारा 5 का निराकरण नहीं किया और सीधी अपील स्वीकार कर ली जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें श्रीमान् न्यायालय द्वारा अपील ग्राह तो कर ली परन्तु स्थगन आवेदन को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि प्रथम दृष्टयः स्थगन का आधार नहीं है।
2. यह कि प्रथम दृष्टयः मूलतः स्थगन की उक्त प्रकरण में शक्त आवश्यकता थी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का उचित अवलोकन एवं मूल्यांकन नहीं और स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया प्रतिनिगराकार क्र. 2 उक्त भूमि को अपने नाम कराकर तत्काल खुर्द बुर्द करने की मंशा रखता है ऐसे में कई पक्षकार एवं बाद वाहूल्यतः को बढ़ावा मिलना स्वभाविक है चूंकि भूमि शहर में स्थित है और अनुमन बहुत कीमती है। जिसे प्रतिनिगराकार क्र. 2 षडयंत्र पूर्वक तरीके से हासिल करना चाहता है और उसे तत्काल बेचना चाहता है। षडयंत्र पूर्वक तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो नामातंरण पंजी क्र. 6 एवं 45 टीकमगढ़ नारगुडा से संबंधित थी जो करीब

N

राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2691-तीन / 14

जिला-ठीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ षक आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर राजीनामा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में दिनांक 14.1.16 को राजीनामा हो गया है तथा माना व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 ठीकमगढ़ के यहां दिनांक 3.10.15 को राजीनामा हो गया है।</p> <p>2-अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुआ राजीनामा मान्य करते हुये स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p>  <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	